(भारत के राजपत्र भाग ||, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली (समूह 'ग' 'घ') भर्ती नियम, 1989 को जहां तक उनका संबंध ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में महिला स्वास्थ्य विजिटर -सह- स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में महिला स्वास्थ्य विजिटर/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, महिला स्वास्थ्य विजिटर -सह- स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला), समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2018 है |

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-मेट्रिक्स में लेवल- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे-मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं |

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मेट्रिक्स में लेवल अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महिला स्वास्थ्य विजिटर -सह-स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)	13* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	पे-मेट्रिक्स लेवल 10 (29200-92300रु.)	अचयन	आयु 18-27 वर्ष के बीच टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य योग्यता (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास (ख) सहायक नर्स एवं मिडवाइफ़ में डिप्लोमा (दो वर्षीय) के साथ कम से कम पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में सहायक नर्सिंग के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। (ग) भारत में किसी राज्यके नर्सिंग परिषद में बतौर एएनएम पंजीकृत (घ) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान वांछनीय : (I) भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित सहायक नर्स एवं मिडवाइफ़ के लिए छः माह का प्रचारक प्रशिक्षण। अथवा (II) (क) मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा परिषद से सामान्य नर्सिंग मिडवाइफ़री में डिप्लोमा। (ख) राज्य नर्सिंग परिषद के साथ नर्स	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ, स्तम्भ (11) में दर्शाए अनुसार बढ़ाई जा सकती है।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती (ii) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अथवा नर्स व मिडवाइफ़ के रुप में पंजीकृत (पंजीकृत नर्स अथवा पंजीकृत नर्स व मिडवाइफ़)। (ग) कम से कम पचास बिस्तर वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण :1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्‌वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा		
(11)	
पदोन्नति: आरएचटीसी में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम/बहुप्रयोजन कार्यकर्ता (महिला) से पदोन्नति द्‌वारा जिसने वेतन मैट्रिक्स (आई 25500 - 81100/- रूपय) के लेवल 4 में पाँच वर्ष की सेवा की हो और सीधी भर्ती ले लिए अपेक्षित योग्यता रखता हो।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ - अध्यक्ष 2. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रभारी ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति** 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफ़गढ़ - अध्यक्ष 2. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उपनिदेशक, प्रभारी ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं

[ज़ेड.22017/08/2007-पीएमएस/एमएच]

(एम.के. सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार